न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2017 निगरानी

1. रामजीलाल } पि0 शंकरलाल
2. हरिमोहन
3. गणेश
4. बंशी } पि0 रामकरण
5. दिनेश
6. राजकुमार
7. कमली पत्नी रामकरण
8. मांगीलाल पुत्र श्योनारायण
9. कानाराम पुत्र प्रभात
10. हरिनारायण
11. कालूराम पि0 प्रभातीलाल
12. कालीदेवी पत्नी प्रभातीलाल

जाति मीना निवासी कोठी नयावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

निगरानीकर्तागण

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मूलचन्द पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी नयावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)
2. ग्राम पंचायत राहूवास जरिये –सरपंच राहूवास।
3. तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी पट्टा आदेश दिनांक 25.2.1984 पट्टा सं0 12 योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत राहूवास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

उपस्थिति : श्री बाबूलाल हाड़ा अधिवक्ता निगरानीकर्तागण उपस्थित।
: श्री एच0एन0 माठा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता नं01 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 24.7.2018

संक्षिप्त में निगरानी प्रकरण के तथ्य द्व इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत राहूवास द्वारा गैर निगरानीक़ार सं0 1 को दिनांक 25.2.84 को 10 x 10 कुल 100 वर्गफिट 11.11 वर्गगज भूमि का पट्टा सं0 12 खातेदारी भूमि में निजी आवास हेतु गलत रूप से जारी किया है। ग्राम पंचायत ने जिस जगह का पट्टा जारी करना दर्शाया है वह आबादी भूमि न होकर निगरानीकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174/261 ग्राम नयावास की भूमि

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

है। ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि में बिना अवाप्ति व बिना भू परिवर्तन के पट्टा जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका रिपोर्ट लिए बिना आपत्ति जारी किये बिना पत्रावली के अवैध रूप से उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त पट्टा सं0 12 दिनांक 25.2.1984 को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी गैरनिगरानीकारान की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने निगरानी के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में केवल सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं मिसल नम्बर नहीं है। 10 x 10 कुल 100 वर्गफिट 11.11 वर्गगज का है इस पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बाबत दिनांक 1.2.18 को सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है न ही उसकी चार्जलिस्ट में है। प्रश्नगत पट्टा भूमि खसरा नम्बर 174/261 निगरानीकर्ता की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 174 आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार मूलचन्द पुत्र रामपाल द्वारा विवादित स्थल पर पत्थर डाले हुए हैं। निगरानीकार की खातेदारी भूमि पर ग्राम पंचायत किस प्रकार पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली नहीं है, किसी समिति द्वारा जांच नहीं की गई, पट्टा किस नियम में दिया गया है। निगरानीकारान की उक्त खातेदारी भूमि बैंक के रहन है और बैंक कब्जा नहीं होने पर रहन नहीं रखता है। निगरानीकार का पट्टा खसरा नम्बर 174 का है या 174/261 का यह बताने में असमर्थ है। विभिन्न भवन, आबादी भूमि के खसरा नम्बर 174 में से पट्टे दिये गये हैं जो कि 174/261 से लगते हुए हैं। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हैं। उक्त विवादित पट्टा सं0 12 ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी किस धारा में पेश की गई है, प्रस्तुत निगरानी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पट्टे में स्पष्ट रूप से पट्टे में भूमि का मूल्य रूपये 21/– रसीद सं0 303 दिनांक 29.7.83 के जमा करवाने पर पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। पट्टे के साथ नजरी नक्शा में चतुर्दिशाएं अंकित हैं। पट्टे पर सरपंच/उपसरपंच/ग्रामसेवक के हस्ताक्षर हैं। पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हुई या मिली नहीं इसके लिये गैर निगरानीकार किस प्रकार से जिम्मेदार है। निगरानी के पेज सं0 8 में पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.11.17 को प्राप्त होना लिखा है। इस प्रकार बिना मूल पत्रावली के प्रमाणित प्रतिलिपि जारी नहीं की जा सकती है। इस भूमि में विभिन्न समय पर 33 लोगों के पट्टे जारी किये गये हैं। पट्टा सं0 22 गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा क्रय कर पंचायत भवन को दान की थी। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का उक्त स्थान पर बहुत से लोगों के मकान आदि, विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, मिनी बैंक आदि संचालित हैं जो दिनांक 9.3.18 की पटवारी की रिपोर्ट

अति0 जिला कलक्टर

में भी उल्लेखित है। जिसमें मेरा भी कब्जा बताया है। विभिन्न वर्षों में पट्टे जारी हुए हैं और निगरानीकारान को अब ज्ञात हुआ है ऐसा सम्भव नहीं है। एविडेन्स एक्ट की धारा 90 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज 30 वर्ष पश्चात पेश किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसे सही माना जावेगा। प्रश्नगत पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा सं. 12 दिनांक 25.02.1984 तहसीलदार रामगढ पचवारा की रिपोर्ट दिनांक 09.03.2018 के अनुसार ग्राम नयावास के ख.न. 174/261 की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। उक्त ख.न. 174/261 राजस्व रिकार्ड के अनुसार निगरानीकारान की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। निजी खातेदारी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा किसी अन्य को पट्टा जारी नही किया जा सकता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टा सं. 12 दिनांक 25.02.1984 बहक मूलचन्द पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम नयावास निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नयावास पंचायत समिति लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा